न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 55/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. निखिल पि. बजरंगलाल नाबालिग जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल नाबालिग का संरक्षक नाना विष्णु प्रसाद पाटीदार पि. किशनलाल नि. खारपाकलां
2. पीयूष पि. बजरंगलाल नाबालिग जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल नाबालिग का संरक्षक नाना विष्णु प्रसाद पाटीदार पि. किशनलाल नि. खारपाकलां

– वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पि. भेरूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. संजय पि. भेरूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. शाखा प्रबंधक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हेमडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री अशोक पाटीदार

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री पूरीलाल राठौड

दिनांक : 24/01/23

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम हेमडा एवं ढाबलाखीची तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हेमडा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 329 की आराजी किता 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता सं. 331 की आराजी किता 6 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व खाता सं. 332 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम ढाबलाखीची की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 308 की [illegible] किता 10 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 का [illegible] ग्राम [illegible] की जमाबंदी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

2070–73 के खाता सं. 26 की आराजी किता 6 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्सा है। वादग्रस्त समस्म आराजियात पुश्तैनी होकर बजरंगलाल को उनके पिता भेरूलाल से एवं भेरूलाल को उनके पिता चम्पालाल से प्राप्त हुई है। वादीगण बजरंगलाल प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र होने एवं आराजी हिन्दू अविभाजित परिवार की होने से वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादीगण की माता मंजूबाई का देहान्त हो चुका है एवं वादीगण का पालन पोषण नाना विष्णुलाल द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजियात को बेचान करने पर आमदा है जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिादी सं. 2 , 3 , 4 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम हेमडा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 329 की आराजी किता 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता सं. 331 की आराजी किता 6 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्से में व खाता सं. 332 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्से में इसी प्रकार ग्राम ढाबलाखीची की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 308 की आराजी किता 10 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्से में एवं ग्राम ग्राम ढाबली की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 26 की आराजी किता 6 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्से में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र के साथ ग्राम हेमडा , ढाबली , ढाबलाखीची की नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां एवं आधार कार्ड व राशनकार्ड की छायाप्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिर्स्ड सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एडवोकेट पूरीलाल राठौड ने वकालातनामा पेश किया।

दिनांक 17.01.2019 को उपभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान की पहचान अभिभाषकगण द्वारा की गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वाद पत्र , राजस्व रिकार्ड , राजीनामा प[illegible]नांक [illegible]7.01.2019 का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषकगण द्वारा [illegible] किया गया। प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

3– यह कि ग्राम ढाबला खिंची पटवार हल्का ढाबला खिंची की

Scanned with CamScanner

वाद में यह पाया कि ग्राम हेमडा , ढाबली , ढाबलाखीची की वादग्रस्त आराजियात शामलाती खाते की पुश्तैनी आराजी है जिसमें बजरंगलाल प्रतिवादी सं. 1 का पृथक पृथक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 बजरंगलाल के वारीस पुत्र है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधनो के तहत पुश्तैनी आराजी में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद मे पक्षकारान द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम हेमडा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 329 की आराजी किता 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादी सं. 1 को एवं 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं ग्राम हेमडा के खाता सं. 331 की आराजी किता 6 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादी सं. 1 को एवं 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम हेमडा के खाता सं. 332 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादी सं. 1 को एवं 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। नाबालिग के संरक्षक नाना विष्णु प्रसाद पाटीदार पि. किशनलाल नि. खारपाकलां रहेगे। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 55/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. निखिल पि. बजरंगलाल नाबालिग जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल नाबालिग का संरक्षक नाना विष्णु प्रसाद पाटीदार पि. किशनलाल नि. खारपाकलां
2. पीयूष पि. बजरंगलाल नाबालिग जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल नाबालिग का संरक्षक नाना विष्णु प्रसाद पाटीदार पि. किशनलाल नि. खारपाकलां

– वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पि. भेरूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. संजय पि. भेरूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. शाखा प्रबंधक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हेमडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री अशोक पाटीदार

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री पूरीलाल राठौड

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद मे पक्षकारान द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम हेमडा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 329 की आराजी किता 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादी सं. 1 को एवं 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं ग्राम हे[illegible] खाता सं. 331 की आराजी किता 6 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी [illegible] 1/2 हिस्से में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with CamScanner

1/3 हिस्से का वादी सं. 1 को एवं 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम हेमडा के खाता सं. 332 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादी सं. 1 को एवं 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। नाबालिग के संरक्षक नाना विष्णु प्रसाद पाटीदार पि. किशनलाल नि. खारपाकलां रहेगे। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner